

IS 15700:2005



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद
वास्तुकला एवं नियोजन इकाई-पंचम
नीलगिरी काम्पलेक्स, इन्दिरा नगर, लखनऊ-226016

भारतीय मानक ब्यूरो

IS 15700



पत्र सं०-777

/वा0नि0-6 /

दिनांक-4-4-2014

स्वीकृति-पत्र

सेवा में,

मैसर्स विवेक इन्फ्राटेक प्रा0लि0
निदेशक तेजपाल सिंह सियाल
ए-979 इन्दिरा नगर लखनऊ।

विषय:- ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड संख्या 2बी/जी0एच0-4 वृन्दावन योजना लखनऊ के मानचित्र स्वीकृति के सम्बन्ध में।

परिषद की वृन्दावन योजना, लखनऊ के सेक्टर-2 में स्थित भूखण्ड सं० 2बी/GH-04 पर मानचित्र स्वीकृति हेतु गठित समिति द्वारा निम्न शर्तों के अधीन स्वीकृति प्रदान की गयी है।

1. निर्माण विधिवत कब्जा प्राप्त भूमि पर किया जाना होगा।
2. स्वीकृत मानचित्र की अवधि पाँच वर्ष की होगी। दिनांक 4-4-14 से 4-4-19 तक।
3. स्वीकृत मानचित्र लाल रंग से अंकित संशोधनों सहित मान्य होगा।
4. यदि उपलब्धि समयावधि के उपरान्त निर्माण प्रारम्भ किया जाता है। तब निर्माण से पूर्व सम्पत्ति प्रबंध अधिकारी से समयावधि प्रमाण प्राप्त कर लिया जाये।
5. यह स्वीकृति प्रस्तावित कुल निर्माण क्षेत्रफल 21178.21 वर्गमी0 (बेसमेंट+स्टिक्ट+12) तलों में से 4435.33 वर्ग मी0 (बेसमेंट+स्टिक्ट फ्लोर) तलों हेतु निर्माण क्षेत्रफल के लिए 4500 वर्गमी0 के भूखण्ड पर प्रदान की गयी है। बेसमेंट फ्लोर एवं स्टिक्ट फ्लोर में पार्किंग प्रस्तावित होने के कारण उसका क्षेत्रफल एफ.ए.आर. में आंगणित नहीं किया गया है। अतः पार्किंग हेतु निर्धारित स्थान में निर्माण की सुनिश्चितता हेतु निर्माण की स्वीकृति केवल बेसमेंट एवं उसके ऊपर एक तल हेतु प्रदान की जाती है।
6. बेसमेंट एवं उसके ऊपर एक तल का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप सुनिश्चित किये जाने के उपरान्त (सम्बन्धित खण्ड से पुष्टि के पश्चात) शेष निर्माण 16742.88 वर्गमी0 की अनुवर्ती तलों पर स्वीकृति सक्षम स्तर से प्रदान की जा सकेगी। (स्वीकृत मानचित्र सलंगन है।)
7. भूखण्ड पर निर्माण प्रारम्भ करने की सूचना अधिशारी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-11 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को निर्माण प्रारम्भ करने से पूर्व 14 दिन पहले देनी होगी। अधिशारी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-11 व उ० आवास आयुक्त, वृन्दावन योजना द्वारा स्थल पर निर्माण इसी दशा में अनुमत्य किया जायेगा जबकि सम्बन्धित द्वारा प्रशंगत भूमि हेतु परिषद को देय समस्त भुगतान का निर्धारित समयानुसार अद्यतन भुगतान सुनिश्चित किया जायेगा।
8. उपनिदेशक उ० प्र० फायर सर्विसेज लखनऊ के पत्रांक संख्या-अ-37/डी0डी0एफ0एस0 लखनऊ-13 दिनांक 29-3-2014 के द्वारा प्रोविजनल अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों का अनुपालन स्थल पर किया जाना अनिवार्य है। एवं भवन के निर्माण के पश्चात तथा उपयोग से पूर्व स्थानीय उपनिदेशक उ० प्र० फायर सर्विसेज लखनऊ, से पुनः अन्तिम अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर उपलब्ध कराना होगा।
9. निर्माण स्थल पर स्वीकृत मानचित्र का डिस्ले ऐसे स्थान पर किया जायेगा कि उसे जन सामान्य के द्वारा सुगमतापूर्वक अवलोकित किया जा सके।
10. आवंटि द्वारा सलंगन प्रारूप पर पूर्णतया प्रमाण पत्र हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जायेगा जिसके साथ अनुज्ञापित तकनीकी व्यक्ति का प्रमाण पत्र भी सलंगन करना होगा। समयावधि तत्पश्चात निर्माण कार्य यथामानक सही पाये जाने पर ही पूर्णतया प्रमाण पत्र निर्गत किया जायेगा।
11. मैसर्स विवेक इन्फ्राटेक प्रा0लि0, द्वारा स्थल (सार्वजनिक)/मार्ग अथवा सरकारी भूमि का उपयोग भवन सामग्री अन्वार करने की दशा में वह मानचित्र अवमुक्त होने की तिथि से देय शुल्क तथा उस पर 15 प्रतिशत वार्षिक व्याज (अर्द्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज) मांग पत्र निर्गत होने की तिथि से एक माह के अन्दर परिषद खाते में एकमुश्त जमा करेगा।
12. कम से कम 200 वर्गमी0 क्षेत्रफल पर एक पेड़ की दर से वृक्षारोपण अनिवार्य रूप से करना होगा।
13. रेनवाटर हार्वेस्टिंग पद्धति को अनिवार्य रूप से करना होगा।
14. समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेश मान्य होंगे।
15. आवंटि द्वारा पर्यावरण, प्रदूषण विभाग एवं भारतीय विमानन पत्तनम् विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रेषित नहीं किया गया है, जिसके सम्बन्ध में आवंटि को निर्देशित करते हुए मानचित्र इस प्रतिबंध के साथ स्वीकृत किया जाता है, कि ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड पर छः महीने के अन्दर उपरोक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही निर्माण की 15.0 मी० से अधिक ऊँचाई का निर्माण किया जा सकेगा।

16. मानचित्र का परीक्षण नेशनल बिल्डिंग कोड के मात्र स्ट्रक्चरल प्राविधानों के अन्तर्गत करते हुए ही अनुज्ञा निर्गत की जा रही है तथा अग्निशमन/सुरक्षा सम्बंधी अन्य समस्त प्राविधानों को स्थानीय मुख्य अग्निशमन अधिकारी द्वारा अपने स्तर से सुनिश्चित कराया जायेगा।
17. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-11 के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत भूखण्ड पर निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप स्थल पर किया जा रहा है।
18. भूकम्परोधी शासनादेश सं० 570-9-आ-12001 (भूकम्परोधी /2001/(आ0बा0) दिनांक 3.2.2001 एवं सं० 3751/9-आ-भूकम्परोधी/2001/(आ0बा0) दिनांक 20.7.2001 के अन्तर्गत शर्तें, सेट के मानचित्र सं०-4/11 के पृष्ठ भागों पर चप्पा की गयी है। जिनका अनुसरण करना होगा।
19. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-11 के द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत भूखण्ड पर निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप स्थल पर किया जा रहा है।
20. प्रश्नगत भूमि पर निर्माण के पश्चात् भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 परिशिष्ट-6 प्रपत्र-ब के अनुसार अध्यासन से पूर्व पूर्णतया प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा।

सलंगनक:

1. आर्कीटेक्चरल मानचित्रों का एक सेट (11 नग शीट्स)
2. स्ट्रक्चरल डिजाइन्स का एक सेट (7 नग शीट्स)
3. स्ट्रक्चरल व कैलकुलेशन का एक सेट।
4. पूर्णतः प्रमाण पत्र का प्रारूप -ब।

(संजीव कश्यप)

वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी

दिनांक:

प्र० सं०:-

/उक्त /

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी लखनऊ को सूचनार्थ।
2. अधीक्षण अभियन्ता-वृन्दावन वृत्त, उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को उक्त मानचित्र के एक सेट सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
3. अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-11 उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को मानचित्रों के एक सेट सहित इस आशय से प्रेषित कि पूर्णता प्रमाण पत्र के आवेदन हेतु प्रपत्र-ब की एक प्रति सलंगन है तथा यह सुनिश्चित करने हेतु कि आवंटनी को मलवा सामग्री की छूट दी गयी है। अतः यह सुनिश्चित कर लें कि आवंटनी अपने ही भूखण्ड में निर्माण सामग्री एवं मलवा रखेगा। (शर्त सं०-11)
4. उप आवास आयुक्त, सम्पत्ति प्रबंध वृन्दावन योजना, लखनऊ को शर्त सं०-04 व 07 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु।
5. उप निदेशक उ० प्र० फायर सर्विसेज लखनऊ को प्रपत्र -ब सहित।

(संजीव कश्यप)

वास्तुविद नियोजक/विशेष कार्याधिकारी